

## भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2021

अनुशंसा विवरण और कट-ऑफ अंक

(श्रेणीवार)

## भारतीय आर्थिक सेवा

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्ति	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्ति	उम्मीदवारों की अनुशंसा (गैर बेंचमार्क विकलांगता वाले)	न्यूनतम अर्हक मानक* (1000 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (1200 में से)
1.	सामान्य	07	शून्य	07	07	440	586
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	शून्य	01	01	429	565
3.	अ.पि.व.	04	शून्य	04	04	373	532
4.	अ.जा.	02	शून्य	02	02	335	484
5.	अ.ज.जा	01	शून्य	01	01	363	479
	<b>कुल</b>	<b>15</b>	शून्य	<b>15</b>	<b>15</b>	---	---

\* गैर- बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पेपर में 20% अंक अध्याधीन।

भारतीय सांख्यिकी सेवा

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्ति	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्ति	उम्मीदवारों की अनुशंसा (गैर बेंचमार्क विकलांगता वाले)	न्यूनतम अर्हक मानक* (1000 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (1200 में से)
1.	सामान्य	04	शून्य	04	04 [01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित]	486	641
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	शून्य	02	02	442	571
3.	अ.पि.व.	03	01	02	02	460	588
4.	अ.जा.	01	शून्य	01	01	428	537
5.	अ.ज.जा	01	शून्य	01	01	274	358
	<b>कुल</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	---	---
<b>बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार (पी.डब्ल्यू.बी.डी)</b>							
क.	बेंचमार्क विकलांगता - 3	01	01 [अ.पि.व.]	शून्य	---	180	266
	<b>कुल</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	शून्य	---	---	---

\* गैर बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए छः पेपरों में से प्रत्येक में 15 % अंकों तथा बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए छः पेपरों में से प्रत्येक में 5% अंकों के अध्यक्षीन।

टाई संबंधी सिद्धांत

भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2021 में जहां भी दो या इससे अधिक उम्मीदवारों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, वहां टाई के मामलों का समाधान आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है:-

- (i) यदि सकल योग बराबर है तो 800 अंकों के कुल चार अर्थशास्त्र/सांख्यिकी के पेपरों तथा 200 अंकों के व्यक्तित्व परीक्षण में कुल मिलाकर अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक प्रदान किया जाएगा और
- (ii) जिन मामलों में ऊपर के (i) के आधार पर भी अंक बराबर हैं, वहां अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को उच्चतर रैंक प्रदान किया जाएगा।